

19-Dec-2016



अंचल अधिकारी का कार्यालय

बेरमो, बोकारो

अस्वीकृति की सूचना

नामांतरण मुकदमा संख्या : 14 R27/ 2016 - 2017 /बेरमो

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नामांतरण मुकदमा संख्या 14 R27/ 2016 - 2017 /बेरमो को अस्वीकृत किया जाता है

अस्वीकृत करने वाले का नाम - TIRKEY SUMANT(Circle Officer)

दिनांक - 12/19/2016 3:14:48 PM

अस्वीकृत का कारण - हल्का कर्मचारी /प्रभारी अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर चूंकि आवेदित भूमि के विक्रेता जाति के कुरमी है जो CNT ACT के दायरे में आते है विक्रेता के द्वारा भूमि बिक्री हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता के धारा 46 के तहत अनुमति नहीं लिया गया है अतः क्रेता के नाम से नामांतरण अस्वीकृत किया जाता है .

अंचल निरीक्षक का नाम- JHARKHAND

दिनांक- 12/19/2016 10:40:41 AM

अंचल निरीक्षक का मंतव्य - आवेदित भूमि रैयती खाते की है विक्रेता के परदादा अलिया कुरमी के नाम खतियान में दर्ज है पंजी 2 के पेज न० 247/7 में हडन महतो पिता अलिया कुरमी के नाम से जमाबंदी कायम है विक्रेता जाति के कुरमी है जो CNT ACT के दायरे में आते है भूमि बिक्री के पूर्व भूमि सुधार उप समाहर्ता से CNT की धारा 46 के तहत बिक्री हेतु अनुमति आवश्यक है जो विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही केवाला में अनुमति संबंधी उल्लेख दर्ज है उपरोक्त तथ्यों के अलोक में क्रेता के नाम से नामांतरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है

राजस्व कर्मचारी का नाम-

दिनांक- 12/16/2016 5:52:18 PM

राजस्व कर्मचारी का मंतव्य - आवेदित भूमि रैयती खाते की है विक्रेता के परदादा अलिया कुरमी के नाम खतियान में दर्ज है पंजी 2 के पेज न० 247/7 में हडन महतो पिता अलिया कुरमी के नाम से जमाबंदी कायम है विक्रेता जाति के कुरमी है जो CNT ACT के दायरे में आते है भूमि बिक्री के पूर्व भूमि सुधार उप समाहर्ता से CNT की धारा 46 के तहत बिक्री हेतु अनुमति आवश्यक है जो विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही केवाला में अनुमति संबंधी उल्लेख दर्ज है उपरोक्त तथ्यों के अलोक में क्रेता के नाम से नामांतरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है

मुकदमा संख्या 14 R27/ 2016 - 2017 /बेरमो का विवरण

आवेदक का नाम	अभिभावक का नाम	पता

